


राजस्थान सरकार  
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।

विज्ञप्ति

क्रमांक: 44304-06

दिनांक 21.12.17

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी एवं गैर अनुज्ञाधारी यथा फुटकर दुकान/भूखण्ड आवंटी, कृषक महिला वर्ग के आवटी राज्य सरकार से स्वीकृत ब्याज मांफी योजना के अर्न्तगत कृषि उपज मण्डी समितियों को दिनांक 31.12.2016 तक की देय मूल बकाया राशि उक्त योजना के तहत दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराकर ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

  
20-12-2017  
(नन्मूल पहाडिया)  
निदेशक  
कृषि विपणन